



राजस्थान उच्च न्यायालय का NTA को नोटिस

चर्चा में क्यों?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कथित अनियमितताओं के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को रद्द करने के अनुरोध पर [राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी \(National Testing Agency- NTA\)](#) और केंद्र को नोटिस जारी किये।

मुख्य बटु:

- राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (National Eligibility and Entrance Test- NEET) स्नातक परीक्षा के पेपर लीक का मामला बढ़ गया है, जिसके कारण दोबारा परीक्षा कराने और [केंद्रीय जाँच ब्यूरो \(Central Bureau of Investigation- CBI\)](#) से जाँच कराने की मांग को लेकर वरीध प्रदर्शन हो रहे हैं।
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई की तथि 10 जुलाई, 2024 तय की है, जिसके दो दिन बाद [सर्वोच्च न्यायालय](#) में इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जनिमें NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और न्यायालय की नगिरानी में जाँच की मांग करने वाली याचिकाएँ भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

- परचिय:
 - राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency- NTA) की स्थापना [भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860](#) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
 - यह उच्च शक्तिषण संस्थानों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजति करने वाला एक स्वायत्त और आत्मनरिभर परीक्षण संगठन है।
- शासन व्यवस्था:
 - NTA की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नयुक्त प्रख्यात शक्तिषावदि करते हैं।
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer- CEO) महानदिशक होंगे जनिकी नयुक्तिसरकार द्वारा की जाएगी।
 - इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा जनिमें उपयोगकर्त्ता संस्थानों के सदस्य शामिल होंगे।

नीट- यूजी (NEET-UG)

- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या NEET, जसिं पहले ऑल इंडियन प्री-मेडिकल टेस्ट कहा जाता था, भारत में स्नातक चकितिसा कार्यक्रमों (MBBS और BDS पाठ्यक्रम) में प्रवेश के लिये एक प्रवेश परीक्षा है।
- इसका संचालन NTA द्वारा कथि जाता है।